IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एकता

डॉ0 राम प्रवेश सिह

प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत की राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहय एवं आंतरिक आघात का मुकाबला भारतीय लोगों ने किया। सिकन्दर के आक्रमण से लेकर अंग्रेजों के आक्रमण को भारतीय भूमि ने सहा है। आत्मसाती करण की क्षमता भारत में है। शक, कुषाण, यवन, हूण आदि को भारत ने आत्मसात कर लिया और वे भारत के हो गये। मुस्लिम आक्रमण्कारियों ने भारत को अपनाया और वे यहीं के हो गये। अंग्रेजों ने भारत का केवल शोषण किया, इस कारण वे भारत के नहीं हो पाये। प्रस्थान के समय अंग्रेजों ने भारत को खण्ड–खण्ड कर दिया, जिसका दंष आज तक भारतीय उपमहाद्वीप एवं भारत के लोग झेल रहें हैं। पाकिस्तान के साथ भारत को चार बार युद्ध का सामना करना पड़ा, इसका भी श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है। चीन के साथ भी भारत को लड़ना पड़ा। इसके पीछे भी अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीति को ही माना जा सकता हैं। अंग्रेजों ने चीन के साथ सही ढ़ंग से सीमांकन नहीं किया, जिससे आज तक भारत एवं चीन आमने–सामने है।

जहाँ तक आंतरिक चुनौतियों का प्रश्न है इसे कम नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा वर्षों से राष्ट्र राज्यों की शीर्ष प्राथमिकता का प्रश्न रहा है। प्राचीन काल की व्यक्ति केंद्रित विस्तारित सत्ताओं वाली रिसासत से लेकर आधुनिक काल का सम्प्रभु सत्ताओं तक में निर्विवाद रूप से यह मुद्दाशीर्ष वरीयता का ही रहा है। समय–समय के साथ इसके चरित्र में जरूर बदलाव आया है।[1]आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायवाद, जातिवाद, भाषवाद तथा अन्य अनके ऐसी समस्याएँ हैं। जिन्होंने किसी न किसी किसी रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया है। 11 सितम्बर 2001 के बाद विश्व ने आतंकवाद के दर्द को समक्षा। इसके पूर्व विश्व समुदाय यह मानने को तैयार नहीं था, कि आतंकवाद के दर्द को भारत को किस रूप में सहन करना पड़ रहा है। अस्सी के दशक में पंजाब में आतकवाद का जोर था। आपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से उसका समाधान निकालने का प्रयास किया गया। किन्तु उसका परिणाम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी की हत्या के रूप में मिला। राजीव–लांगोवाल समझौता हुआ किन्तु इससे भी पंजाब में शांति स्थापित नहीं

हो पायी। लोगोंवाल की हत्या, बेअंत सिंह की हत्या आदि अनेक घटनाओं के बावजूद भी शांति नहीं मिली है। नब्बे के दशक के मध्य में पंजाब शांत हो पाया। पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से असम में अस्सी के दशक में आन्दोलन ने जोर पकड़ा। हजारों की बलि लेने के बावजूद आज तक असम में शंति स्थापित नहीं हो पायी। कशमीर समस्या को हल करने के रूप में पाक प्रायोजित आतंकवाद चल ही रहा है, रूबीया अपहरण की सौदेबाजी में खुँखार आतंकवादियों की रिहाई एक उदाहरण बन गयी है। काठमाण्डू से भारतीय विमान को अपहरण करके कांधार ले जाया गया, जिसके परिणामस्वरूप मसूद अजहर जैसे जघन्य अपराधियों को मुक्त करना पड़ा। कशमीर की विधानसभा पर आतंकी हमला, रधुनाथ मंदिर पर हमला, दिल्ली के गफार मार्केट में बम का फटना आदि ऐसी अनेक घटनाऐं जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया है। राजनाथ सिंह सूर्य ने आतंकवाद के देशी मददगार (दैनिक जागरण 06 फरवरी 2010) शीर्षक में लिखा है, कि भारतीय क्षेत्र में आतंकवाद के विस्तार में भारतीयों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। भारत सरकार की नाक के नीचे नई दिल्ली में तीन पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर पुलिस गंभीर नहीं है। यह ऐसी पहली घटना नहीं है, इस घटना से लगभग दो वर्ष पूर्व उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ की अदालत से भी दो आतंकवादियों का भाग जाना भी ऐसी ही लापरवाहपूर्ण घटना थी। 26/11 के बाद पाकिस्तान आरोप लगा रहा कि भारत में आतंकियों की मददगार मौजूद हैं। कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में आयोजित भारत–पाक शांति सम्मेलन में लाहौर के एक वकील एजाजुल एहसान ने जब यह कहा कि पाक आतंकियों को भारतीयों की मदद मिल रही है, तब कुछ बुद्धिजीवी भड़क उठे थें, और उनके कथन को पाकिस्तान का सरकारी आरोप तक कह डाला था। पाक आतंकियों को सहयोग देने के आरोप में अब तक देशभर में जो हजारों लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।[2] यह एक अनुत्तरित प्रश्न है कि 11 सितम्बर 2001, के पश्चात् अमेरिका में एक भी आतंकवादी घटना नहीं घटी और भारत में इसका क्रम निरन्तर चल रहा है।

सत्ता में आसीन लोगों को सोचना चाहिए। नक्सलवाद ने भारत के अनेक इलाकों में अपना चारू मजूमदार द्वारा स्थानीय प्रशासन के विरोध हेतु प्रारम्भ किया गया था। देश के सत्ता पक्ष ने वह चाहें केन्द्र में हो या राज्यों में , कभी इन घटनाओं को समझाने की कोशिश नहीं की। राज्य में राजनीतिक दलों ने या तो नक्सलियों से गुप्त समझौता किया या इसे जानबूझ कर नजरअन्दाज करते रहे। नक्सलवाद आज महज ठेकेदारों, सरकारी अफसरों से पैसा वसूलने का तंत्र हो गया है।[3] आज यह पिछड़े इलाके के लोगों का हथियार बन चुका है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव चरम पर है। कुछ स्थानों पर तो इनकी समानांतर सरकार है। यह विधिवत् टैक्स वसूल करते हैं। गरीब शिक्षा बेरोजगारी आदि इसके मूल कारण हैं, शासन सत्ता की उपेक्षा का शिकार इन्हें होना पड़ा है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इन इलाकों के लोग शोषण का शिकार रहे हैं। इन क्षेत्रों के संसाधनों का दोहन करके

अन्य क्षेत्रों का विकास हो रहा है। स्थानीय स्तर पर विकास के बिना नक्सल आन्दोलन को रोका नहीं जा सकता । 2009 में नक्सलवादियों द्वारा ट्रेन को अपने कब्जें लेना एक बड़ी घटना है। किसी भूलवश इस घटना में हजारों की जान जा सकती थी। सरकार की अनदेखी का एक उदाहरण यह भी है कि छतीसगढ़ के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनका अभी तक राजस्व सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों की समस्याओं का निराकरण सरकार किस प्रकार करती होगी, यह सोचनीय है। सकरार को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का उच्च स्तर पर विकास करना चाहिए। विश्वविधालय, मेडिकल कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों, उत्तम किस्म की सड़कें, सुविधायुक्त चिकित्सालय, उद्योग–धन्धों में स्थानीय युवकों को नौकरी आदि अनेक प्रयासों से नक्सलवादियों को राष्ट्र की मुख्या धारा में लाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। हालांकि जिस तरह किसी भी संगठन या सरकार के लगातार बने रहने से असंतोष पनपता है, नक्सली भी इससे अछूते नहीं रहे। उन पर भी अपनी सत्ता को आतंक और तकत के भरोसे चलाने का आरोप लगा। 90 के दशक के आखिर में आदिवासी समाज के एक हिस्से का नक्सलियों से मोह भंग होने की बात सामने आई। 2005 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और जिस समय बस्तर में दो बड़े औधोगिक घरानों ने लौह अयस्क खदानों और स्टील प्लांट के लिए सरकार के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए, लगभग उसी समय महेंन्द्र कर्मा के नेतृत्व में सर्वा जुडूम की शुरूआत हुई। कथित रूप से यह कार्यक्रम आदिवासियों के दीर्घकालीन हितों के लिए था, लेकिन इन सबका इसलिए अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि बस्तर में विश्वास बहाली की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आज अर्धसैनिक बल विश्वास बहाली के लिए इलाकों के युवाओं के साथ फुटबाल मैच खेलते हैं, महिलाओं के बीच साड़ियाँ बांटते हैं, बच्चों को बाहर घुमने के लिए भी भेजते हैं। लेकिन अगले ही पल यह विश्वास टूट जाता है, क्योंकि पुलिस या अर्धसैनिक बल की गोली से इन्हीं आदिवासियों का कोई अपना निर्दोष मारा जाता है।

सवाल विकास के मॉडल का भी है। अभी तक तय नहीं हो सका कि प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न इन इलाकों में कम्पनियाँ स्थापित कर आदिवासियों को बेदखल कर दिया जाए, या उनके संसाधनों को अक्षुण्ण रखते हुए विकास कार्यों में उनकी सहभागिता बढ़ायी जाए। वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा था कि जंगल में होने वाली खनन कार्यों में स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए लाभ में उन्हें 20 फीसदी हिस्सेदारी दी जाए। वर्ष 2010 में पेश किए गए प्रस्ताव में भी आदिवासियों को खनन कार्यों के लाभ में 26 फीसदी की बात कहीं गई थी। पर निहित स्वार्थ के कारण ऐसी योजनाएँ धरातल पर नहीं उतरतीं। सरकार इसलिए भी उदासीन दिखती है, क्योंकि उसकी सफलता का एक मात्र पैमाना सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) मान लिया गया है। इस पर चर्चा नहीं होती कि कानून व्यवस्था पर वह कितनी विफल है। छत्तीसगढ़ में ही मीडिया में रमन सरकार की खूब तारीफ होती

रही, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था की हालत कितनी खस्ता है, यह नक्सली हमलों से ही स्पष्ट हो जाता है।

सात बहनों के प्रदेश (The Land of Seven Sister) के नाम से प्रसिद्ध तथा 2,53,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र स्त्रातेजिक दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील रहा है और समय–समय पर भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता रहा है।[4] समूचा उत्तर भारत उग्रवाद की चपेट में है। असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किकत, त्रिपुरा, मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं। असम समस्या अस्सी के दशक में प्रारम्भ हुई तथा आज तक असम की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। असम गण परिषद्, ऑल बोडो स्टूडेण्ट्स यूनियन, उल्फा आदि अनेक संगठन अपना प्रभाव बनाये हुए हैं। इनके निशाने पर गैर असमी लोग हैं। असम की खनिज सम्पदा का उपयोग केवल असम के ही उपयोग में हो। इन संगठनों के लोग अपना लक्ष्य मजदूरों, व्यापारियों को बनाते हैं। अवैध बसूली, माररपीट, हत्या, अपहरण आदि इनका धन्धा बन गया है। असम से बाहरी लोगों को भगाना इनका उद्देश्य है। मणिपुर, मेद्यालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में भी उग्रवादी गतिविधियाँ जोरों पर हैं। कुछ संगठनों का यह मानना है कि उनके क्षेत्र कभी भारत के अंग रहे ही नहीं। भारत ने उनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। कुछ जनजातियाँ आपस में ही संघर्षरत हैं। टी0एन0वी0 जैसे संगठन हिंसा के माध्यम से त्रिपुरा में अशांति कायम किये हुए है। विकास की समस्या को लेकर भी यह आंदोलित हो जाते हैं रेलवे का विकास इन भागों में शेष भारत की तुलना में कम है। इस क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा भी अच्छी नहीं है। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण शीघ्र विकास करना भी कठिन है। इस क्षेत्र में अशांति फैलाने में चीन, म्यामार तथा बांगलादेश का सहयोग उग्रवादी संगठनों को मिलता है।

प्रारम्भ से ही क्षेत्रवाद भारत की आंतरिक स्थिति को कमजोर कर रहा है। बंगाली, मराठी, तेलगू, गुजराती, राजस्थानी, उड़िसा, तमिल व असमी आदि अनेक लोगों से मिलकर भारत का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ हो रहा व्यवहार क्षेत्रवाद की ही देन है। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति हेतु मराठी मानुष का नारा दिया जा रहा है। रेलवे की परीक्षा देने गये उत्तर भारतीय छात्रों पर आक्रमण भारत में भारतीयों की दशा को बयान करता है, छोटे राज्यों का नारा क्षेत्रवाद की उपज है। तेललंगाना, हरित प्रदेश पूर्वाचल प्रदेश, गोरखलैण्ड आदि की मांग क्षेत्रवाद की ही देन है। क्षेत्रीयता का दूसरा रूप स्वायत्तता की मांग है। इस आधार पर झारखंड, उत्तराखण्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों का कुछ वर्ष पूर्व ही गठन हुआ है।[5] प्रो0के0 सुब्रहमण्यम ने अपने लेख ''छोटे राज्यों का औचित्य'' (दैनिक जागरण 10 जनवरी 2010) में लिखा है कि भारत में 28 राज्य व 07 केन्द्रशासित प्रदेश हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 16.6 करोड़ से लेकर सिक्किम में 5.4 लाख के बीच है। उत्तर प्रदेश की आबादी बांगला देश से भी अधिक है जो विश्व का सातवाँ सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में फिलीपींस से जो आबादी के हिसाब से ग्यारहवाँ

सबसे बड़ा देश है, से भी अधिक लोग रहते हैं। 8.2 करोड़ की आबदाी वाला बिहार जर्मनी से बड़ा है, और पश्चिम बंगाल की आबादी विश्व के 15 वें नम्बर के देश इथोपिया से भी अधिका है। क्या यह कहा जा सकता है कि इतनी अधिक आबादी वाले राज्य उस प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक प्रणाली शासन द्वारा भली प्रकार शासित हो सकते है, जो हमारे पास है। उत्तर प्रदेश और बिहार बीमारू राज्य में आते हैं। यही हालत मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी है। महाराष्ट्र में विदर्भ इलाके के लोग लम्बे समय से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गोरखा लोग उपेक्षा की शिकायत कर रहे हैं। यह सर्वविदित है, कि सभी राज्य समान गति से विकास नहीं कर रहे हैं। यह भी स्वीकृतमत है कि नक्सलवादी हिंसा का एक बड़ा कारण कुशासन है। अगर राज्यों का आकार छोटा किया जाता है और उनकी संख्या बढ़ती है तो, इससे केन्द्र सरकार को भी मजबूती मिलेगी और केन्द्र तथा राज्यों के बीच समीकरण कुछ हद तक केन्द्र के पक्ष में मुड़ेगा। इन स्थितियों में राज्यों को अधिक शक्तियों दी जा सकती हैं। विकास की रफ्तार तेज होने के साथ यह एक आवश्यकता भी है। आर0 विक्रम सिंह ने अपने लेख ''राष्ट्रद्रोह सरीखा क्षेत्रवाद'' (दैनिक जागरण 8 फरवरी 2010) में कहा है कि जिन्ना हमारे इतिहास के पहले राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने सत्ता के लिए देश को खण्डित किया। खालिस्तानी भिण्डारवाले, उल्फा अलगाववादी, मराठी अलगाववादी जिन्ना मानसिकता की अगली पीढ़ियाँ है। मराठी अलगाववादियों के आतंक झेलते–झेलते मुम्बई में उत्तर भारतीय दोयम दर्जे के नागरिक होते जा रहे हैं जिस दिन उत्तर भारतीयों पर सशस्त्र हमले प्रारम्भ हो जाऐंगे उस दिन उन्हें कश्मीर के पण्डितों की तरह मुम्बई छोड़ जाने से रोका नही जा सकेगा। यही शिवसैनिकों की मंशा भी है। भारत को तोड़ने का जो काम दाऊद नहीं कर सका तथा न ही पाकिस्तान की आई0एस0आई0 कर सकी, वह काम मुम्बई के यह गद्दार कर गुजरेंगे, तब इन्हें सजा कौन देगा? अगर यह देश को तोड़ने की बात की बात करते हुए खेलेआम घूम रहे हैं, तो हम क्यों किसी देशद्रोही अथवा आतंकवादियों को जल में बन्द कर रखे हैं। इनकी तानाशाही मनोवृतियाँ लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रही हैं राजनीतिक दल सेनाओं के नाम पर है। क्या इन सेनाओं को लोकतांत्रिक दलों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए? राष्ट्रद्रोही की नागरिकता निरस्त और स्थगित करने के कानून क्यों नहीं हैं? हम कैसे–कैसे लोगों को नेता मानने पर मजबूर हैं। क्षेत्रवाद ने राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को कमजोर किया है। क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति हेतू अलगाववादी गतिविधियों पर रोक लगाना आवश्यक है।

भारत में अनेक सम्प्रदायों (हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि) के लोग रहते हैं। इनके मध्य परस्पर सौहार्द का वातावरण भी है। कुछ हजार की संख्या में ही मुस्लिम बाहर से आये शेष अन्य मतांतरित भारतीय हैं। भारत की आजादी इस उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी विपत्ति अर्थात पाकिस्तान (पश्चिमी और पूर्वी) के रूप में देश के विभाजन के साथ आई।[6] सिक्ख धर्म पन्द्रहवी शताब्दी में

प्रारम्भ हुआ और वे भारत के ही मूल निवासी हैं। ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी लोग मतांतरित भारतीय लोग ही हैं। कुछ मुस्लिम शासकों को छोड़कर अधिकांश ने पारस्परिक सामंजस्य का वातावरण बनाया। ताजमहल, लालकिला, कुतुबमीनार, चारमीनार तथा अन्य स्थापत्य भारतीय समृद्धि को बयान करता है। सिक्ख परम्परा के संतों ने स्वर्ण मन्दिर का निर्माण कराया। बौद्ध, जैन, ईसाई तथा पारसी धर्म के संतों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों का समाप्त करने का प्रयास किया। स्वार्थी तत्वों ने सम्प्रदाय को राजनीति का हथियार बनाया, जिससे वातावरण परिवर्तित हुआ। उड़ीसा में पादरियों का हत्या, पंजाब में खालिस्तान की मांग के समय हिन्दुओं की हत्या, बाबरी मस्जिद विध्वंश काण्ड के पश्चात् के देशव्यापी दंगें, गोधरा काण्ड और इसके पश्चात् के गुजरात के दंगे आदि घटनाओं ने देश की आंतरिक सुरक्षा को तार–तार कर दिया है। सम्प्रदायवाद के राजनीतिकरण हो जाने से समस्या और जटिल हुयी। आपसी तनाव जब अपने चरम पर हो जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। सम्प्रदायवाद को यदि भारत के संविधान की दृष्टि से देखा जाये तो इसका भारत के संविधान में कोई स्थान नहीं है, किन्तु 2010–11 में जो जनगणना की गयी वह धर्म व जातिगत आंकड़ो के आधार पर की गयी। इस विधि से राज्य में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा, जिसके दूरगामी परिणाम भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगें, जो देश के भीतर आंतरिक कलह पैदा कर सरकार तथा शासन प्रणाली को कमजोर बना देगा। उक्त समस्या से देश की एकता व राष्ट्रीय शक्ति को गहरा खतरा पैदा हो गया है, जिसका पूरा–पूरा फायदा निकटतम शत्रु राष्ट्र लेता रहा है। जिसका परिणाम उस समय साफ दिखता है जब शत्रु राष्ट्र भारत के निवासियों को साम्प्रदायिकता के लिए उकसाता है, व आपस में साम्प्रदायिक दंगों को जन्म देने में सफल भी हो जाता है। इस प्रकार के दंगे राष्ट्र की एकता व अखण्डता के लिए भीषण खतरे बन रहे हैं। यह कोई आधुनिक समस्या नहीं हैं। अलगाववाद आतंकवाद से पोषित हो अंतर्विरोधों के कारण 1978 तक साम्प्रदायिक शक्तियॉ खुले रूप में बढ़ने लगीं, जिसके परिणामस्वरूप समय–समय पर दंगे, फसाद होते रहे।

भारत के केवल उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहॉ अयोध्या, बरेली आगरा, मुरादावाद, वाराणसी, अलीगढ़, कानपुर में अक्सर दंगे होते रहे हैं, तथा मुजफ्फरनगर में तो अभी हाल ही दंगा हुआ जिसमें कई लोग मारे गये हैं, तथा कितने ही बेघर हो गये हैं। उक्त जिलों में हिन्दु–मुस्लिम आबादी एक साथ निवास बहुत ही कम संख्या में करती है। धर्म के नाम पर इन क्षेत्रों में अक्सर साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं।

जतिवाद की समस्या ने भी समय–समय पर अपना रंग दिखाया है। यद्यपि कि भारत में जातिवाद प्राचीनकाल से विद्यमान है। किन्तु कभी–कभी विकृत रूप धारण कर लेता है। आज देश के अन्दर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जातिवाद के नाम पर अपनी पहचान बनाने में लगी हैं।[7] हिन्दु समाज में जाति की परिभाषा कर्म के अनुसार की गयी है। किन्तु बदलते परिवेश में उसका स्वरूप विकृत होता चला गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दलितों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी। जिससे कि उनका उत्थान हो सके। भारतीय जना पार्टी की सरकार के समय में वी0पी0 मण्डल की अध्यक्षता में मण्डल कमीशन का गठन पिछड़ी जातियों के उत्थान हेतू किया गया। वी0पी0 सिंह की सरकार ने मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया। जिससे देशव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। जिसमें हजारों लोग मारे गये व सैकड़ो घायल हो गये। सम्पूर्ण देश का वातावरण अशांत हो गया। अंततः सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया और मुख्य न्यायाधीश श्री एम0एच0 कानिया ने मण्डल कमीशन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गयी। जाति के आधार पर संघर्ष का स्वरूप आंतरिक सुरक्षा के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। जहाँ भारत को विभिन्नता में एकता के नाम से जाना जाता है, वहीं यहॉ पर जातिवाद की भावना से जन्मीं समस्याओं को भी नकारा नहीं जा सकता। सामाजिक न्याय व दलितों के उत्थान के लिए मण्डल कमीशन की सिफरिशें लागू करने तथा जातिगत आरक्षण हेतू देश की कई राज्य सरकारों के बीच प्रारम्भिक प्रतिस्पर्द्धा ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को हिला कर रख दिया। इतना ही नहीं संवैधानिक चुनाव भी जातिवाद के नाम पर लड़े जाते हैं। परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति में देश के अन्दर अराजकता जैसी घटनायें घटित होना स्वाभाविक है जिसमें देश की सुरक्षा को खतरा महसूस किया जा सकता है।

भाषावाद ने भी समय–समय पर चुनौतियाँ खड़ी कर दी है। भारत में अनेक भाषायें है, अनेक बोलियॉ है। दक्षिण भारत में संविधान की हिन्दी प्रतियॉ कई बार जलायी गयीं। भाषाओं के आधार पर राज्यों के हिस्से तक हुए। राष्ट्र भाषा हिन्दी ही क्यों हो, इस पर भी तमाम बहस हुई। संविधान की अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए अनेक आंदोलन हुए।

विशाल भारत की एकता और अखण्डता को बनाये रखने हेतू उच्च स्तरीय राजनीतिक सोच की आवश्यकता है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सर्वागीण एवं सम विकास की आवश्कता है।

संन्दर्भ ग्रंथ सूची–

1. हरीशरण एवं सिंह विनोद कुमार–भारतीय सुरक्षा साम्प्रतिक चुनौतियाँ, मोहित पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2014
2. दैनिक जागरण, नैनीताल संस्करण, 06 फरवरी 2010, सम्पादकीय पृष्ठ।
3. दैनिक जागरण, मुरादाबाद संस्करण, 29 मई 2013 सम्पादकीय पृष्ठ।
4. कुमार डॉ0 संजय–भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियॉ, सनराइज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2011, पृष्ठ–38।

5. कुमार डॉ0 संजय–भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ, सनराइज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2011, पृष्ठ–198।
6. हरी शरण एवं कुमार हर्ष–आन्तरिक सुरक्षा विचार, विमर्श और विकल्प, प्रत्युष पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2012, पृष्ठ–34।
7. हरी शरण एवं कुमार हर्ष–आन्तरिक सुरक्षा विचार, विमर्श और विकल्प, प्रत्युष पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2012,, पृष्ठ–154